19/1/21

आदेश प्रार्थी उपर्युक्त मूल प्रा०पत्र स्वीकार होकर फैसल हो जाने से अब इस प्रा०पत्र का महत्व नहीं रह गया है सो प्रा०पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि. 6/7/20 को भी अप्रभावी किया जाता है पत्रावली नंबर से खारिज हो। Ruby